जयपुर मेट्रो विस्तार से कम होगा शहर का ट्रैफिक दबाव : भजनलाल शर्मा

राजधानी जयपुर की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और यातायात को देखते हुए मेट्रो का विस्तार अत्यंत आवश्यक : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। प्रदेश में सुगम और अत्याधुनिक परिवहन तंत्र विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो विस्तार परियोजना की समीक्षा बैठक ली।

उन्होंने कहा कि जयपुर की बढ़ती जनसंख्या

- जयपुर मेट्रो फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट राज्य सरकार ने मंजूर कर केंद्र सरकार को भेजी है, वहां से मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा
- परियोजना में 42.80 किलोमीटर लंबे रूट पर 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें 34 एलीवेटेड तथा 2 अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल होंगे

और यातायात को देखते हुए मेट्रो का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल शहरवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, बल्कि ट्रैफिक दबाव भी काफी हद तक कम होगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जयपुर मेट्रो फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) राज्य सरकार द्वारा मंजूर कर केंद्र को भेज दी गई है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। परियोजना में 42.80 किलोमीटर लंबे रूट पर 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें 34 एलीवेटेड तथा 2 अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल होंगे।

फेज-2 सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर रेलवे स्टेशन, गांधी नगर रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ेगा। इससे एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी, टोंक रोड और सीकर रोड के घनी आबादी वाले इलाकों को भी मेट्रो सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मेट्रो विस्तार के दौरान स्टेशन उन्हीं स्थानों पर बनाए जाएं, जहां यातायात का दबाव अधिक रहता है। इससे लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सकेगी। उन्होंने लागत और खर्च का सटीक मूल्यांकन करने पर भी जोर दिया, ताकि वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो और जनता को दीर्घकालीन सुविधा मिल सके। बैठक में मेट्रो परियोजना के फेज-थ्री ए, बी और सी के प्रस्तावित मार्गों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आगे की योजनाओं, तकनीकी पहलुओं और लागत का विवरण साझा किया।बैठक के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को मेट्रो विस्तार कार्य में तेजी लाने और इसे समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर मेट्रो विस्तार परियोजना की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

प्रदेश के विद्युत निगमों की फुटबॉल टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता

जयपुर (कासं)। पंजाब पावर कॉरपोरेशन द्वारा पटियाला में 19 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित की गई 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 में राजस्थान की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया है।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने टीम के जयपुर पहुंचने पर विद्युत भवन में

- अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 का पटियाला में हुआ आयोजन
- कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में मध्य प्रदेश पावर को हराया
- राजस्थान के विद्युत कार्मिक ड्यूटी के साथ खेलों में भी अव्वल : ऊर्जा मंत्री

खिलाड़ियों को शानदार उपलब्धि अर्जित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के बिजली कर्मचारी विषम परिस्थितियों में अपनी नौकरी करते हैं और नौकरी करने के साथ समय निकालकर शरीर स्वस्थ रखने के लिए खेलों से भी लगातार जुड़े हुए हैं। हीरालाल नागर ने कहा कि बिजली कर्मचारियों के कल्याण को देखते हुए अन्य राज्यों और राज्य सरकार की भांति बिजली निगमो में भी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाकर लागू की जाएगी।

राजस्थान विद्युत फुटबॉल टीम की यह उपलब्धि खिलाड़ियों के कठिन परिश्रम, समर्पण और टीम भावना का परिणाम है। प्रतियोगिता में देशभर के राज्यों से विद्युत विभागों की शीर्ष फुटबॉल टीमों ने भाग लिया।

राजस्थान टीम ने शुरुआती मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। सेमी फाइनल में हरियाणा की टीम से राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में राजस्थान के खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाते हुए प्रतिद्वंद्वी मध्य प्रदेश पावर टीम को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया।

टीम के मैनेजर पवन शर्मा सहायक निदेशक जनसंपर्क राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, कोच विनोद कुमार तकनीशियन प्रथम जयपुर विद्युत वितरण निगम, कप्तान दिनेश मीणा, सहायक अभियंता कोटा थर्मल हैं। सभी खिलाड़ियों ने इस सफलता के लिए कड़ा संघर्ष किया था। टीम में राजस्थान के सभी विद्युत वितरण निगम, प्रसारण निगम और उत्पादन निगम के विद्युत गृहों के खिलाड़ी शामिल है।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राजस्थान विद्युत विभाग की टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी।

हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव और ए.सी.एस. पीएचईडी को तलब किया

लेबर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देने पर जताई नाराजगी

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने के संबंध में पेश प्रार्थना पत्र पर सात साल में भी कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है।

इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख कार्मिक सचिव और अतिरिक्त मुख्य पीएचईडी सचिव को 28 नवंबर को तलब किया है। अदालत ने दोनों अफसरों से पूछा है कि कार्मिक विभाग सात साल से इस प्रार्थना पत्र को लेकर क्यों बैठा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश मुकर्रम हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कार्मिक विभाग के काम करने का यह धीमा तरीका औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के मकसद को नाकाम कर रहा है और इसके चलते लेबर कोर्ट के फैसले लागू नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने कार्मिक विभाग के रवैये पर नाराजगी भी जताई है। याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने अदालत को बताया कि लेबर कोर्ट ने 28 मार्च, 2017 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल, 1982 से अर्ध स्थाई करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी लेबर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की गई।

इस पर याचिकाकर्ता ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के तहत लेबर कमिश्नर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। लेबर कमिश्नर ने 5 मार्च, 2018 को कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर दोषी अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने को कहा। याचिका में कहा गया कि करीब सात साल का समय बीतने के बाद भी कार्मिक विभाग की ओर से लेकर कमिश्नर के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विभाग के इस रवैये के चलते ही लेबर कोर्ट के अवार्ड की पालना नहीं हो रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों को पेश होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा है।

पुलिया पर चलते ट्रक में आग

जयपुर। झोटवाड़ा इलाके में स्थित दादी का फाटक पुलिया पर अचानक से चलते ट्रक में आग लग गई। काफी धुंआ निकलता देख ट्रक चालक ने जैसे-तैसे ट्रक को साइड में लगाया और कूद कर अपनी जान बचाई। जिसके बाद पुलिया पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।

बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर करीब पौने तीन बजे के आसपास दादी का फाटक पुलिया पर चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। गनीमत रहीं ट्रक अमेजन कंपनी का सामान लेकर आया था और पास ही में उसे खाली कर वापस लौट रहा था। खाली ट्रक में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया। दादी का फाटक पुलिया से उतरते वक्त ट्रक के इंजन में धुआं निकलने लगा और देखते ही आग केबिन में जा पहुंची। तभी ट्रक चालक ने ट्रक को साइड में रोका और नीचे कूद कर जान बचाई।

इंटरनेशनल कबड्डी फैडरेशन में गबन को लेकर एफआईआर दर्ज के आदेश से इनकार

जयपुर (कासं)। अतिरिक्त सिविल न्यायालय क्रम-15 महानगर द्वितीय ने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन में पांच करोड रुपए के कथित गबन से जुडे मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने से इनकार किया है। इसके साथ ही अदालत ने परिवादी को कहा है कि वह अदालत में पेश होकर अपनी साक्ष्य पेश करे। अदालत ने यह आदेश सुनील कुमार के परिवाद पर दिए। परिवाद में आईकेएफ के निदेशक ज्ञानेश्वर कासनी और तेजस्वी सिंह को आरोपी बनाया गया है।

परिवाद में अधिवक्ता अनिल चौधरी ने बताया कि कबड्डी की राष्ट्रीय संस्था एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। जबकि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन,

- अतिरिक्त सिविल न्यायालय ने परिवादी को साक्ष्य के लिए बुलाया

फेडरेशन न होकर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है। जिसमें दोनों आरोपी निदेशक है। कंपनी को साल 2015 से 2024 तक स्टार टीवी ने कुल 18 करोड रुपए का भुगतान किया गया। इसमें से सात करोड रुपए खेल विकास फंड के नाम पर दिए गए। जबकि यह राशि एकेएफआई को दी जानी चाहिए थी। सीएजी की ओर से ऑडिट कराने का प्रावधान आईकेएफ पर लागू नहीं होते, जिसका दुरुपयोग कर फंड का गबन किया गया है। इसके अलावा इस कंपनी में विश्व की किसी भी कबड्डी की राष्ट्रीय फेडरेशन सदस्य नहीं है। कंपनी की ओर से विश्व कप कराने की शर्त भी अनुबंध में फर्जी डाली गई है, क्योंकि कंपनी ने कोई वल्ड कप नहीं कराया है।

परिवाद में कहा गया कि खेल विकास फंड में प्राप्त सात करोड रुपए में से दो करोड रुपए का खर्च का हवाला कंपनी की बैलेंस शीट में है, लेकिन शेष राशि का गबन किया गया है। वहीं विभिन्न मदों में भी अनावश्यक खर्चा दिखाया गया है। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवादी को अपनी साक्ष्य पेश करने को कहा है।

प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग को मिलेगा बढ़ावा : डी.जी.पी. राजीव शर्मा

राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्याला के मध्य हुआ एमओयू

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के बीच सोमवार को पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अकादमिक,प्रशिक्षण और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह पुलिसिंग में अनुसंधान-आधारित सुधारों और फील्ड स्तर की क्षमताओं को बढ़ाने की

- राज्य की आंतरिक व सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था होगी और अधिक मजबूत
- विशेषज्ञता, संयुक्त अनुसंधान और नवाचारों का आदान प्रदान हो सकेगा

दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमओयू के तहत स्मार्ट पुलिसिंग, सुरक्षा नवाचार और पेशेवर क्षमता-विकास के लिए संयुक्त कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राज्य की आंतरिक और सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य में पुलिसिंग की उत्कृष्टतम प्रथाओं को लगातार अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए नवाचार पूरे देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के सहयोग से राजस्थान पुलिस भी और अधिक कुशलता के साथ कार्य कर सकेगी। साथ ही प्रदेश में पुलिस की कार्यकुशलता और पेशेवर क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक तथा आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य और अधिक संगठित तथा प्रभावी ढंग से संपादित किए जा सकेंगे। साथ ही, बड़ी घटनाओं के दौरान आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ भी लिया जा सकेगा।

शर्मा ने कहा कि राज्य में पुलिस शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में रक्षा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. बिमल एन. पटेल ने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने आत्मनिर्भरता के साथ कई ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आरआरयू की अकादमिक और विश्लेषणात्मक विशेषज्ञता, राजस्थान पुलिस की रणनीतिक तथा परिचालन क्षमताओं को और अधिक मजबूत एवं उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

डॉ. पटेल ने बताया कि अब तक विश्वविद्यालय द्वारा 82 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है तथा विश्वभर में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एमओयू के बाद राजस्थान पुलिस भी आरआरयू के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कोर्सों का लाभ आसानी से ले सकेगी। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्यों, अनुसंधान गतिविधियों तथा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी भी साझा की।

कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं यातायात)अनिल पालीवाल ने स्वागत उद्बोधन देते हुए एमओयू के माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभों का विस्तृत और सारगर्भित विवरण प्रस्तुत किया।

एमओयू पर राजस्थान पुलिस की ओर से पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण शरद चौधरी तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की ओर से डीन अविनाश खारेल ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था संजय कुमार अग्रवाल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासन, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल फॉरेंसिक जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस एमओयू से पुलिस शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण प्रणाली और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी। विशेष प्रशिक्षण और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस प्रशिक्षकों और अधिकारियों की दक्षता और कौशल को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।

इस समझौते से फैकल्टी सदस्यों, पुलिस अधिकारियों एवं शोधकर्ताओं के लिए विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, आतंकवाद विरोधी रणनीति तथा खुफिया प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सकेगा।

संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं एवं नवाचारों से साक्ष्य आधारित पुलिसिंग, डेटा-आधारित रणनीतियों और नीति निर्माण को बढ़ावा मिल सकेगा।

राजस्थान पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी आरआरयू के अकादमिक कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके व्यावसायिक विकास एवं कैरियर उन्नित में सहायता मिलेगी।

डी.जी.पी. राजीव शर्मा की मौजूदगी में एमओयू पर राजस्थान पुलिस की ओर से पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण शरद चौधरी तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की ओर से डीन अविनाश खारेल ने हस्ताक्षर किए।